

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, डूंगरपुर

(पीठासीन अधिकारी दिनेश धाकड़, आर0ए0एस0)

मुकदमा नम्बर 7/2024
जीसीएमएस नं. 2024/7

दायर दिनांक 19.01.2024
निर्णय दिनांक 30.04.2025

1.सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार साबला जिला डूंगरपुर

— अपीलाण्ट

बनाम

1.श्रीमती तारा कुंवर पत्नी श्री रण सिंह राजपुत निवासी गौठडा तहसील साबला, जिला डूंगरपुर

— रेस्पोंडेण्ट्स

अपील प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970

उपस्थित — 1.राजकीय परोकार — अपीलाण्ट
2.श्री दिनेश चन्द्र चौबीसा, अधिवक्ता — रेस्पोंडेण्ट्स

—:निर्णय:—

दिनांक —30.04.2025

1. प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार साबला द्वारा इस आशय का अपील प्रार्थना पत्र पेश किया कि मौजा गौठडा के खसरा नम्बर 2517/2060 रकबा 0.1618 है0 एवं खसरा नम्बर 2509/1146 रकबा 0.0809 है0 भूमि जरिये मिसल नंबर 1530 दिनांक 16.12.2021 को विपक्षी श्रीमती तारा कुंवर पत्नी श्री रण सिंह राजपुत निवासी गौठडा तहसील साबला को प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021 केम्प स्थल ग्राम पंचायत झरीयाणा में कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटित की गई थी। उक्त भूमि पर आवंटन के पश्चात आवंटन की शर्तों की पालना नही की गई एवं न ही मौके पर आदिनांक तक कब्जा

दिनेश धाकड़
अति. जिला कलक्टर, डूंगरपुर

है, उक्त भूमि गैर खातेदार दर्ज होकर आवंटन शर्तों की पालना नहीं होकर आवंटन नियम 14 (3) की पालना नहीं होने से निरस्त कराने हेतु निवेदन किया गया।

2. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर रेस्पोजेण्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया।

3. रेस्पोजेण्ट द्वारा प्रस्तुत जवाब का संक्षिप्त सार इस प्रकार है कि खसरा नम्बर 2517/2060 रकबा 0.1618 है0 एवं खसरा नम्बर 2509/1146 रकबा 0.0809 है0 भूमि जरिये मिसल नंबर 1530 दिनांक 16.12.2021 द्वारा उक्त भूमि का आवंटन प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021 केम्प स्थल ग्राम पंचायत झरीयाणा में किया गया है। आवंटित उक्त भूमि पर आवंटन होने के पश्चात कब्जा सुपुर्द करने की दिनांक से आज दिन तक अभी तक निरन्तर बेरोकटोक कब्जा बना हुआ है। प्रार्थी की ओर से मौका पर्चा दिनांक 29.09.2023 को बनाया गया है। पर्चा मौका की कार्यवाही करने की सूचना प्रार्थी द्वारा विपक्षीया को अथवा उसके परिवार के किसी भी सदस्य को नहीं दी गयी है और मौका पर्चा की कार्यवाही के समय विपक्षीया उपस्थित नहीं थी और न ही उसके परिवार का कोई सदस्य उपस्थित था। मौका पर्चा पर जिन मौतबीर व्यक्तियों के हस्ताक्षर करवाये गये हैं, वे सभी व्यक्ति तथा महिलाओं के विरुद्ध विपक्षीया के परिवारजन के द्वारा वाद पेश किया गया है। जिनमें यह सभी प्रतिवादीगण हैं। जिनमें विपक्षीया तथा उसके परिवारजन का भूमि विवाद चल रहा है। मौतबीर व्यक्तियों के द्वारा आपसी द्वेषता एवं विवाद के कारण राजस्व कर्मचारियों से मिलकर यह पर्चा मौका बनवाया गया है और कार्यवाही की गई है। विपक्षीया द्वारा आवंटन के पश्चात आवंटन नियम के किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया गया है। विपक्षीया को आवंटित भूमि पहाड़ी होने से विपक्षीया ने इस पर काफी व्यय कर इसको काश्त करने योग्य बनाया है और आवंटित भूमि पर समय समय पर पशुओं हेतु घास एवं बाजरा की फसल की गयी है और आज भी आवंटित भूमि पर काश्त की हुयी है। पर्चा मौका दिनांक 29.09.2023 को बनाया गया है। उस दिनांक के पूर्व घास व अन्य फसल को काटा जा चुका था। विपक्षीया को आवंटित भूमि खसरा संख्या 2509/1146 रकबा 0.0809 है0 भूमि विपक्षीया की खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 1175, 1176 एवं 1179 के पास में स्थित है। जिस पर विपक्षीया का कब्जा होने से विपक्षीया ने आवंटित करवायी थी और खसरा संख्या 2517/2060 रकबा 0.1618 है0 भूमि पहाड़ी भूमि होने से जिसको

दिनेश धाकड़

अति. जिला कलक्टर, डूंगरपुर

रेस्पोजेण्ट द्वारा काफी व्यय कर इसको साफ करवाया था और काश्त करने योग्य बनाया था। उक्त दोनों काश्त की भूमि में निरन्तर काश्त कर घास तथा अन्य फसल ऋतु के अनुसार बो कर प्राप्त कर रही है। वादग्रस्त आराजी पर विपक्षीया का निरन्तर वेरोकटोक काश्त बना हुआ है। विपक्षीया की जानकारी में आया है कि पर्चा मौका में अंकित मौतवीर की शिकायत पर ही कार्यवाही की गयी है और उक्त व्यक्तियों के द्वारा राजस्व कर्मचारियों से मिलकर विपक्षीया की उपस्थिति के बिना मौका पर्चा दिनांक 29.09.2023 को बनाया गया है, जिसमें उनके द्वारा मिथ्या कथनों को अंकित करवाया गया है। मौका पर्चा दिनांक 29.09.2023 में जिन मौतवीरान के हस्ताक्षर हैं उनके विरुद्ध विपक्षीया के पुत्र तथा विपक्षीया ने काश्त की भूमि का विवाद होने से वाद उपखण्ड अधिकारी, आसपुर में न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया है। वाद ईश्वर सिंह बनाम अंजली कुँवर वगैराह होकर विचाराधीन है। विपक्षीया के द्वारा भूमि आवंटन नियम 1970 के किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया गया है। विपक्षीया तथा उसके परिवार का मुख्य आय का साधन काश्त ही है। जिसके नहीं रहने पर विपक्षीया को तथा उसके परिवारजन को बड़ी भारी परेशानी होगी तथा मानसिक वेदना होगी और आजीविका का साधन ही समाप्त हो जायेगा। इस कारण रेस्पोजेण्ट को किया गया आवंटन निरस्त किया जाना न्याय संगत नहीं है। अतएव जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रार्थनापत्र / वाद निराधार होने से निरस्त करना फरमावे तथा विपक्षीया को आवंटित भूमि को यथावत कायम रखी जाकर खातेदारी अधिकार प्रदान किया जाने का आदेश प्रदान फरमावे।

4. हमने अपील प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सूनी।

5. पैरोकार सरकार द्वारा अपनी बहस में अपील प्रार्थना पत्र कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि मौजा गौठडा के खसरा नम्बर 2517/2060 रकबा 0.1618 है० एवं खसरा नम्बर 2509/1146 रकबा 0.0809 है० भूमि जरिये मिसल नंबर 1530 दिनांक 16.12.2021 को विपक्षी श्रीमती तारा कुँवर पत्नी रण सिंह राजपुत निवासी गौठडा तहसील साबला को प्रशासन गोंवों के संग अभियान 2021 केम्प स्थल ग्राम पंचायत झरीयाणा में कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटित

की गई थी। उक्त भूमि पर आवंटन के पश्चात आवंटन की शर्तों की पालना नहीं की गई एवं न ही मौके पर आदिनांक तक कब्जा है, उक्त भूमि गैर खातेदार दर्ज होकर आवंटन शर्तों की पालना नहीं होकर आवंटन नियम 14(3) की पालना नहीं होने से निरस्त कराने हेतु निवेदन किया गया।

6. अधिवक्ता रेस्पोजेण्ट द्वारा अपनी बहस में जवाब दावा एवं लिखित बहस के कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि खसरा नम्बर 2517/2060 रकबा 0.1618 है0 एवं खसरा नम्बर 2509/1146 रकबा 0.0809 है0 भूमि जरिये मिसल नंबर 1530 दिनांक 16.12.2021 द्वारा उक्त भूमि का आवंटन प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021 केम्प स्थल ग्राम पंचायत झरीयाणा में किया गया है। आवंटित उक्त भूमि पर आवंटन होने के पश्चात कब्जा सुपुर्द करने की दिनांक से आज दिन तक अभी तक निरन्तर बेरोकटोक कब्जा बना हुआ है। प्रार्थी की ओर से मौका पर्चा दिनांक 29.09.2023 को बनाया गया है। पर्चा मौका की कार्यवाही करने की सूचना प्रार्थी द्वारा विपक्षीया को अथवा उसके परिवार के किसी भी सदस्य को नहीं दी गयी है और मौका पर्चा की कार्यवाही के समय विपक्षीया उपस्थित नहीं थी और न ही उसके परिवार का कोई सदस्य उपस्थित था। मौका पर्चा पर जिन मौतबीर व्यक्तियों के हस्ताक्षर करवाये गये हैं, वे सभी व्यक्ति तथा महिलाओं के विरुद्ध विपक्षीया के परिवारजन के द्वारा वाद पेश किया गया है। जिनमें यह सभी प्रतिवादीगण हैं। जिनमें विपक्षीया तथा उसके परिवारजन का भूमि विवाद चल रहा है। मौतबीर व्यक्तियों के द्वारा आपसी द्वेषता एवं विवाद के कारण राजस्व कर्मचारियों से मिलकर यह पर्चा मौका बनवाया गया है और कार्यवाही की गई है। विपक्षीया द्वारा आवंटन के पश्चात आवंटन नियम के किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया गया है। विपक्षीया को आवंटित भूमि पहाड़ी होने से विपक्षीया ने इस पर काफी व्यय कर इसको काश्त करने योग्य बनाया है और आवंटित भूमि पर समय समय पर पशुओं हेतु घास एवं बाजरा की फसल की गयी है और आज भी आवंटित भूमि पर काश्त की हुयी है। पर्चा मौका दिनांक 29.09.2023 को बनाया गया है। उस दिनांक के पूर्व घास व अन्य फसल को काटा जा चुका था। विपक्षीया को आवंटित भूमि खसरा संख्या 2509/1146 रकबा 0.0809 है0 भूमि विपक्षीया की खातेदारी

की भूमि खसरा संख्या 1175, 1176 एवं 1179 के पास में स्थित है। जिस पर विपक्षीया का कब्जा होने से विपक्षीया ने आवंटित करवायी थी और खसरा संख्या 2517/2060 रकबा 0.1618 है० भूमि पहाड़ी भूमि होने से जिसको रेस्पोजेण्ट द्वारा काफी व्यय कर इसको साफ करवाया था और काश्त करने योग्य बनाया था। उक्त दोनो काश्त की भूमि में निरन्तर काश्त कर घास तथा अन्य फसल ऋतु के अनुसार बो कर प्राप्त कर रही है। वादग्रस्त आराजी पर विपक्षीया का निरन्तर बेरोकटोक काश्त बना हुआ है। विपक्षीया की जानकारी में आया है कि पर्चा मौका में अंकित मौतबीर की शिकायत पर ही कार्यवाही की गयी है और उक्त व्यक्तियों के द्वारा राजस्व कर्मचारियों से मिलकर विपक्षीया की उपस्थिति के बिना मौका पर्चा दिनांक 29.09.2023 को बनाया गया है, जिसमे उनके द्वारा मिथ्या कथनो को अंकित करवाया गया है। मौका पर्चा दिनांक 29.09.2023 में जिन मौतबीरान के हस्ताक्षर है उनके विरुद्ध विपक्षीया के पुत्र तथा विपक्षीया ने काश्त की भूमि का विवाद होने से वाद उपखण्ड अधिकारी, आसपुर में न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया है। वाद ईश्वर सिंह बनाम अंजली कुंवर वगैराह होकर विचाराधीन है। विपक्षीया के द्वारा भूमि आवंटन नियम 1970 के किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया गया है। विपक्षीया तथा उसके परिवार का मुख्य आय का साधन काश्त ही है। जिसके नहीं रहने पर विपक्षीया को तथा उसके परिवारजन को बड़ी भारी परेशानी होगी तथा मानसिक वेदना होगी और आजीविका का साधन ही समाप्त हो जायेगा। इस कारण रेस्पोजेण्ट को किया गया आवंटन निरस्त किया जाना न्याय संगत नहीं है।
अतः प्रार्थी का प्रस्तुत अपील प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

7. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया ।

8. पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/रिकॉर्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। वादग्रस्त आराजी मौका गौठडा के ख.न 2517/2060 रकबा 0.1618 है. एवं खसरा न. 2509/1146 रकबा 0.0809 है० भूमि जरिये मिसल नंबर 1530 दिनांक 16.12.2021 को विपक्षी श्रीमती तारा कुंवर पत्नी रण सिंह राजपुत निवासी गौठडा तहसील साबला को प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021 केम्प स्थल ग्राम पंचायत झरीयाणा में कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटित की गई थी।

न्यायालय अति. जिला कलक्टर, झुंगरपुर (राज0)
पीठासीन अधिकारी :- श्री दिनेश धाकड़ (आर.ए.एस.)
मु.नं. -07 / 2024
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 14(4) कृषि प्रयो. भूमि आवंटन नियम 1970
उनवान- तहसीलदार साबला बनाम तारा कुँवर

तहसीलदार साबला द्वारा उपरोक्त आवंटीत आराजी को निरस्त कराने हेतु अपील प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम ,1970 पेश किया जिसमें उक्त भूमि पर आवंटन के पश्चात आवंटी द्वारा आवंटन की शर्तों की पालना नहीं किया जाना एवं आवंटित आराजी पर आदिनांक तक कब्जा नहीं होना अंकित किया है। इस प्रकार आवंटी द्वारा नियम 14 (3) की पालना नहीं की है। राजकीय पैरोकार द्वारा बहस में यह कथन किया है की नियम 14 (3) अनुसार आवंटन के पश्चात आवंटित भूमि को काश्त एवं उपयोग किया जाना आवश्यक है।

पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड/दस्तावेज अनुसार आवंटी द्वारा आवंटन के पश्चात आवंटित आराजी में काश्त किये जाने के साक्ष्य के रूप में खसरा गिरदावरी प्रस्तुत नहीं किया है। आवंटी द्वारा जो खसरा गिरदावरी पेश की है वह वर्ष 2024 (संवत् 2081) की है, जबकि आवंटी को आराजी वर्ष 2021 में आवंटित हुई। अतः आवंटित भूमि पर आवंटन के प्रथम वर्ष 2022, द्वितीय वर्ष 2023 में काश्त किया जाना होता है। उपरोक्त वर्षों की कोई खसरा गिरदावरी प्रस्तुत नहीं की है जिसमें फसल काश्त किया जाना साबित होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत अपील प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम ,1970 अपील स्वीकार की जाकर आवंटन सलाहकार समिति द्वारा जरिये मिसल न. 1530/2021 दिनांक 16.12.2021 को मौजा गौठडा के खसरा नम्बर 2517/2060 रकबा 0.1618 है0, खसरा नम्बर 2509/1146 रकबा 0.0809 है0 भूमि रेस्पोजेण्ट तारा कुँवर पत्नि रण सिंह के आवंटन आदेश को निरस्त करने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार साबला आवंटित भूमि को बिलानाम सरकार दर्ज करें।

निर्णय आज दिनांक 30.04.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली फ़ैसल में शुमार होकर नंबर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

(दिनेश धाकड़)

अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुंगरपुर